23/5/17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर दिनांक पर पेश हुई। वकील प्रार्थी का मूल वाद संख्या 60/09 का वाद निर्णीत होकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जा चुका है। इस कारण वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भी इसी स्टेज पर निर्णीत किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नारायण